

# कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना(म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक-07532-232694

{फॉर्म्स एवं पंजी छपवाए जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना}

क्रमांक...3470 / दो-21-4 / 2010 / ग्रंथालय

मुरैना, दिनांक: <sup>17</sup>-16.08.2021


जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना के कार्यालयीन एवं न्यायालयीन उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु निम्नानुसार फॉर्म्स एवं पंजी छपवाए जाने हेतु प्रिंटिंग प्रेस प्रोपराइटरों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

फॉर्म्स का नाम	इण्डेण्ट नम्बर	कागज की मोटाई	कुल आवश्यकता
आदेश पत्रिका निरंतर	v-156/cjII	80 जी.एस.एम.	300000
गिरफ्तारी वारण्ट	v-121/crjE	65-75 जी.एस.एम.	300000
साक्षी को समन	V-137/crJ	65-75 जी.एस.एम.	300000

इच्छुक प्रिंटिंग प्रेस प्रोपराइटर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के कार्यालय अनुभाग से ई-टेंडर/निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्तकर दिनांक-06.09.2021 के सायंकाल 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में "जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना" के नाम से आवक-जावक शाखा में अथवा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना की ई-मेल आई.डी.क्रमांक-dcourtmor-mp@nic.in के माध्यम से निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा तथा प्राप्त निविदाओं को दिनांक-07.09.2021 को प्रातः 11:00 बजे विभागीय क्रय समिति द्वारा खोला जावेगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार क्रय समिति को होगा।

संलग्न:-निविदा की शर्तें एवं फॉर्म्स के नमूने।


  
प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग/  
षष्टम अपर जिला जज  
मुरैना(म0प्र0)

# कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना(म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक—07532—232694

## {फॉर्म्स एवं पंजी छपवाए जाने बाबत निविदा शर्तें}

1. सील बंद निविदाएं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के नाम से प्रेषित की जाना चाहिए।
2. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से फॉर्म्स एवं पंजी छापे जाने हेतु निविदा लिखा जाना चाहिए।
3. नियत समयावधि के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. आदेशानुसार छापी गई सामग्री जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना के स्टॉक रूम तक पहुंचाने का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं एवं छपाई हेतु सामग्री को आवश्यकतानुसार निर्धारित संख्या से कम अथवा अधिक कर सकते हैं।
6. निविदा में प्रत्येक सामग्री के उत्पादक, कंपनी का नाम, साईज, नाप, तौल आदि का विवरण देना अनिवार्य होगा।
7. प्रदाय की गई छपी हुई सामग्री निविदा में उल्लिखित गुणवत्ता की नहीं होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सभी सामग्री निविदाकर्ता को अपने स्वयं के व्यय पर वापस उठानी होगी तथा निविदा में उल्लिखित गुणवत्ता के अनुसार सामग्री क्रय आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रदाय करनी होगी।
8. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2022 तक मान्य होंगी।
9. निविदाकर्ता का जीएसटी पंजीयन होने के साथ-साथ वाणिज्यिक विभाग में पंजीयन होने के जीवित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
10. सभी सामग्री के नमूने निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी शर्त के भंग होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. सभी सामग्री की दरें उस पर देय समस्त करों (जीएसटी) सहित दी जावें।

  
प्रभारी अधिकारी ग्रैथालय अनुभाग /  
षष्टम अपर जिला जज  
मुरैना(म0प्र0)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर,  
नाम एवं पता:—

प्ररूप सं. 33

## साक्षी को समन

[ धारा 16 और 244 देखिये ]

प्रेषिती .....

.....(स्थान) का ..... नाम

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि .....

.....(पता) के .....

(अभियुक्त का नाम) ने .....

(समय और स्थान सहित अपराध थोड़े में लिखिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि संभाव्य है कि आप अभियोजन के लिए तात्त्विक साक्ष्य दें या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करें ।

इसलिए आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त परिवाद के विषय से संबद्ध आप जो कुछ जानते हों उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष तारीख..... को दिन में दस बजे हाजिर हों और न्यायालय की इजाजत के बिना वहां से न जाएं और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि न्यायसंगत कारण के बिना आपने उस तारीख पर हाजिर होने में उपेक्षा की या उससे इंकार किया तो आपको हाजिर होने को विवश करने के लिए वारण्ट जारी किया जाएगा ।

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

# Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 .....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary

( क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन् 1898 ई. दफा 75 और 76 )

अदालत \_\_\_\_\_ मजिस्ट्रेट \_\_\_\_\_ दर्जा \_\_\_\_\_

बनाम \_\_\_\_\_

जोकि \_\_\_\_\_ वल्द \_\_\_\_\_

जाति \_\_\_\_\_ साकिन \_\_\_\_\_ पर \_\_\_\_\_

जुल्म का इल्जाम लगाया कि—

इस तहरीर के जरिये तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो।

\* अगर वह अपनी ओर से रुपये \_\_\_\_\_ का मुचलका लिखकर \_\_\_\_\_ एक जामिन  
दो जामिनों में से हर एक

की रुपये \_\_\_\_\_ की जमानत इस बात की दे कि वह हमारे सामने तारीख \_\_\_\_\_

माह \_\_\_\_\_ सन् 20 ई. को हाजिर होगा और जब तक कि हम हाजिरी से माफ न कर दें।

तब तक ही इसी तरह होता रहेगा तो उसे छोड़ दो ऐसा करने से न चूको।

हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_  
सन् 20 को जारी किया गया।

( मोहर )

मजिस्ट्रेट

\* अगर जमानत मंजूर करना न हो, तो इस हिस्से को काट दीजिये।

शाक्षेमुग्दा— 110— फॉर्म— 7-9-20— 2,000 पंजी.